न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 08/2023 अपील (GCMS/2023/353)
पंजीयन दिनांक - 05.10.2023
आदेश दिनांक - 14.05.2025

श्री मोहम्मद फारूक पिता श्री सिराज अहमद निवासी, 131 रजा कॉलोनी, उदयपुर

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री अशोक कुमार साहु - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ.16.12(1)न्याय/2023/1869 दिनांक 27.02.2023

निर्णय

दिनांकः 14.05.2025

यह अपील अपीलर्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ.16.12(1)न्याय/2023/1869 दिनांक 27.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री मोहम्मद फारूक पिता श्री सिराज अहमद निवासी, 131 रजा कॉलोनी, उदयपुर ने होटल व्यवसाय का कार्य होने तथा आत्मरक्षा बाबत नवीन शस्त्र अनुज्ञा हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
- उक्त प्रकरण में संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को कोई खतरा नहीं होने से प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक एफ.16.12(1)न्याय/2023/1869 दिनांक 27.02.2023 निरस्त किया गया।
- उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के तहत न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 04.09.2023 को प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 08.04.2025 को उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई तथा मजिद बहस दिनांक 12.05.2025 को सुनी गयी।

- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से लगभग 14 विभिन्न आवेदनों का निस्तारण एक साथ किया गया है जिससे प्रमाणित होता है कि नवीन शस्त्र अनुज्ञा प्रदान करने के लिये जो पृथक-पृथक पत्रावलियां बनी है उसका विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया है तथा एक ही आदेश में भिन्न-भिन्न कारणों से उपरोक्त आवेदनों को निरस्त करना भी प्रमाणित करता है कि आदेश प्रशासनिक स्वरूप में कर दिया है जो अर्द्ध-न्यायिक अधिकारिता वाले अधिकारी के क्षेत्र से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को कोई खतरा ज्ञात नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी के शस्त्र प्रदान करने का आवेदन निरस्त कर दिया गया जबकि पत्रावली पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2022 अनुसार अपीलार्थी को गंभीर व तात्कालिक खतरा है। अपीलार्थी को हार्ड कोर अपराधी निजाम पुत्र अलाउद्दीन से जान का खतरा है इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 317/2022 अम्बामाता पुलिस थाना, उदयपुर में दर्ज है किन्तु अधीनस्थ कार्यालय द्वारा समस्त तथ्यों को अनदेखा कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश निरस्त हेतु कोई तर्क व कारण अंकित होना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2023 में न तो दस्तावेजों/साथ्यों/तर्कों का उल्लेख है और न ही कोई न्यायिक विश्लेषण है। अपील में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पेश की गई। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध अस्वीकार कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।
- हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।
- उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2023 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जानी थी, जो अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस में नवीन शस्त्र अनुज्ञा का आवेदन तथ्यों के विपरित होकर बिना तर्क के निरस्त करने तथा

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

नॉन स्पीकिंग प्रशासनिक आदेश पारित करने का कथन किया जिसे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में अपील आवेदन के माध्यम से चुनौती दी जा सकना व ऐसे आदेश को चुनौती देने हेतु मयाद की कोई विधिक बाध्यता नहीं होना बतलाया। एहतियातन एवं मयाद अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि के कारण होने से अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना बतलाया।

- अपील में अपीलार्थी ने धारा-5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इस संबंध में आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-18(2) में प्रावधान है कि "कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जायेगी, यदि वह उसके लिए विहित कालावधि के अवसान के पश्चात की जावें, परन्तु अपील उसके लिए विहित कालावधि के अवसान के पश्चात ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर दे कि उस कालावधि के अन्दर अपील ना करने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतुक था" तथा आयुध नियम-1962 के नियम-55 के अनुसार "शस्त्र अनुज्ञा देने से इंकार करने के आदेश से व्यथित व्यक्ति, आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर और धारा 18 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, संबंधित अपील प्राधिकारी को उस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा।" अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पारित किये जाने के लगभग 220 दिवस पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र में देरी के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि इस प्रकार के आदेश को चुनौती दिये जाने में मियाद की कोई बाध्यता नहीं है।
- *उपरोक्त क्रम में प्रकरण के गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेश के अवलोकन से यह पाया गया कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (वि.शा.), उदयपुर के पत्रांक 5741 दिनांक 20.09.2022 से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को कोई खतरा ज्ञात नहीं होना दर्शाया गया है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा प्रदान किया जाना उचित प्रतित नहीं पाए जाने से जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आवेदन खारिज किया गया।*
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-317/2022 के आधार पर स्वयं को गंभीर एवं तात्कालीक खतरा होना बताया है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलार्थी द्वारा निजाम के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें निजाम द्वारा शराब पीकर गाली-गलौंच करने तथा मकान की फाटक क्षतिग्रस्त करने तथा मकान खाली नही करने पर देख लेने की धमकी के संबंध में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.), उदयपुर ने भी अपनी रिपोर्ट क्रमांक जोन-उदय/सुरक्षा/शस्त्र जॉच/2022/5741 दिनांक

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

20.09.2022 से टिप्पणी अंकित की है कि आवेदक को कोई खतरा नहीं होना बताया है।

- उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत आधार दस्तावेज़ कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.(वि.शा.), उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 19.04.2023 है जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2023 के बाद की होकर पूर्व रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 से विरोधाभासी है। साथ ही उक्त रिपोर्ट जिला कलेक्टर, उदयपुर के पत्र क्रमांक 2026-30 दिनांक 09.03.2023 के संदर्भ में प्राप्त की गई है जिस पर अन्तिम निस्तारण संबंधी कार्यवाही के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- *अतः उपरोक्त समग्र विवेचनाअनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न विरोधाभासी रिपोर्ट तथा आवेदन निरस्तगी पश्चात नवीन रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र का अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में कोई पृथक निर्देश दिया जाना तथा जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2023 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अगर परिस्थितियों में बदलाव के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है तो अपीलार्थी सक्षम अधिकारी को नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रस्तुत अपील मय मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किए जाते हैं।*

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को सुनाया गया। मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त,
उदयपुर (राज.)